उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2,

संख्या-28/2018/671/94-स्टा०नि०-2-2018-700(52)/15,

लखनऊ दिनांक 27 दिसम्बर, 2018

अधिसूचना

आदेश

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम,1899 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से भारतीय जीवन बीमा निगम को पॉलिसी बान्डों पर आसंजक इन्श्योरेन्स स्टाम्पों के बदले में, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के त्रैमास में प्रयुक्त वास्तविक आसंजक इन्श्योरेन्स स्टाम्पों के मूल्य में दस प्रतिशत की वृद्धि सहित आगणित धनराशि के बराबर, समेकित स्टाम्प शुल्क की धनराशि, अग्रिम में वित्तीय वर्ष के सुसंगत त्रैमास के प्रारम्भ होने के पूर्व सरकारी कोषागार में जमा करने की अनुज्ञा प्रदान करते हैं और भारतीय जीवन बीमा निगम को अपने पॉलिसी बाण्डों पर ऐसे अग्रिम संदाय को सूचित करने के लिए भी अनुज्ञा प्रदान करते हैं।

परन्तु यह कि यदि वित्तीय वर्ष के संबंधित त्रैमास के लिए जमा की गयी समेकित धनराशि, वास्तविक इन्श्योरेन्स स्टाम्प शुल्क से कम हो तो उसे उसी त्रैमास में अग्रिम में जमा किया जायेगा और यदि उक्त धनराशि अधिक हो तो उक्त अधिक धनराशि वित्तीय वर्ष के अगले त्रैमास की आगणित धनराशि में समायोजित की जायेगी। किन्ही परिस्थितियों में त्रैमास में प्रयुक्त इश्योरेंश स्टाम्प शुल्क का मूल्य, सुसंगत त्रैमास में अग्रिम में जमा की गयी धनराशि से अधिक नही होगा।

भवदीय

हिमांशु कुमार
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-28/2018/671/स्टा०नि०-2-2018-700(52)/15, दिनांक 27 दिसम्बर, 2018

प्रतिलिपि हिन्दी तथा अंग्रेजी, अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इसे दिनांक 27-12-2018 के असाधारण गजट के भाग-4 के खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की सौ प्रतियॉ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

लालू
संयुक्त सचिव।

संख्या-28/2018/671/स्टा०नि०-2-2018-700(52)/15, दिनांक 27 दिसम्बर, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(2) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) अपर मुख्य सचिव, वित्त/संस्थागत वित्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) आयुक्त स्टाम्प/महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
(6) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(7) सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश सूचना निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
(8) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(9) समस्त उपायुक्त स्टाम्प/उप महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
(10) समस्त सहायक आयुक्त स्टाम्प/सहायक महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
(11) विधायी अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन।
(12) भाषा अनुभाग-5 उत्तर प्रदेश शासन।
(13) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

लालू
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN
STAMP EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-2

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 28 /2018/671/94-St.Ni.-2-2018-700(52)/15, dated 27 December, 2018

Notification

Order

No.28/2018/671/94-St.Ni.-2-2018-700(52)/15
Lucknow, dated 27 December, 2018

In exercise of the powers under clause (b) of sub section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended in its application to Uttar Pradesh the Governor is pleased to allow, with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the Life Insurance Corporation of India, to deposit in advance, the consolidated amount of stamp duty in government treasury before the commencement of the relevant quarter of the financial year, in lieu of adhesive Insurance stamps on policy bonds, which is equal to the calculated amount, that is, an increase of ten percent on the value of actual adhesive Insurance stamps used in quarter of the preceding financial year and also allow the Life Insurance corporation of India to denote such advance payment on its policy bonds.

Provided that if the consolidated amount deposited for the respective quarter of the financial year is less than the actual insurance stamp duty, it will be deposited in advance in the same quarter and if in excess, the excess amount shall be adjusted in the calculated amount of the next quarter of the financial year. In no circumstances, the value of insurance stamp duty used in the quarter shall exceed the amount deposited in advance in the relevant quarter.

By order,

Himanshu Kumar
Pramukh Sachiv

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।